

पत्रावली वाले दस्तावेज शामिल
दिल्ली पत्रावली दि. 19.6.24 का
पेश होवे।
30

19/6/2024

Not Pro. 53

19/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी पत्रावली में जागे कोर्ट
कार्यवाही नहीं चाहते एवं न्यायालय
द्वारा उन तक की गई कार्यवाही से
अंतुष्ट हैं; वकील वादी द्वारा पत्रावली
नोट-प्रेसन करने का निवेदन किया
गया। वकील वादी द्वारा नोट-प्रेसन
किये जाने के आधार पर वाद
खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा